प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0,निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
2–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांक शि0नि0(बे0)/ 6439-6628 /2018–19 दिनांक 27 अप्रैल, 2018

विषयः गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड की कार्यवाही किये जाने के प्रति प्राप्त धनराशि को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक–शि0नि0(बे0)/6346–6438/2018–19, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के संबंध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :–

प्रदेश में 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर हाईस्कूल संचालित किये जा रहे हैं। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के पश्चात् बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल स्थापित/संचालित नहीं किया जायेगा। अधिनियम–2009 की धारा–18 में स्कूल की मान्यता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं:–

1– समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जायगा या कार्य नहीं करेगा।

2– उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तो के अधीन करते हुए, जो विहित की जायं, मान्यता प्रमाण–पत्र जारी करेगा। परन्तु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जायेगी जब तक वह धारा–19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता हैं।

3– मान्यता की शर्तो के उल्लघंन पर, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, मान्यता वापस ले लेगा। परन्तु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निदेश होगा जिसमें गैर–मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

4– ऐसा विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

5– कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

उक्त अधिनियम की धाराओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली–2011 द्वारा लागू किया जा चुका है। उक्त से स्पष्ट है कि बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल स्थापित/संचालित नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल संचालित करता है, तो उसके विरूद्ध दण्ड का भी उपर्युक्त प्रावधान किया गया है।

इस सन्दर्भ में अनेक जनपदों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड की कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि किस मद में जमा की जायेगी ? इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्यालयों की मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रबन्ध समितियों द्वारा आवेदन शुल्क कोषागार में जमा किया जाता है जिसका लेखा शीर्षक निम्नवत् हैः–

"0202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति–01–सामान्य शिक्षा–101–प्रारम्भिक शिक्षा–99–प्रकीर्ण प्राप्तियां"

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु जिस लेखा शीर्षक में शुल्क जमा किया जाता है उसी लेखा शीर्षक में आर्थिक दण्ड की धनराशि भी कोषागार में जमा की जाय।

भवदीय,

27.4.18

डा0(सर्वेन्द्र विकम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बे0),उ0प्र0
निशातगंज, लखनऊ।

पृ0सं0–शि0नि0(बे0)/ 6439-6628 /2018–19तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– अपर शिक्षा निदेशक(शिविर), शिक्षा निदेशालय(बेसिक), उ0प्र0, निशातगंज,लखनऊ।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5–संयुक्त शिक्षा निदेशक(शिविर), शिक्षा निदेशालय(बेसिक), उ0प्र0,निशातगंज,लखनऊ।

27.4.18

डा0(सर्वेन्द्र विकम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बे0),उ0प्र0
निशातगंज, लखनऊ।